

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 150717 /

पटना, दिनांक 09/06/2013

sं0सं0-R.11019/203/2010-Sec-07 (06)

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
सुपौल ।

विषय:- आरसेटी की स्थापना हेतु भूमि हस्तान्तरण करने के संबंध में ।


प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 1936 दिनांक- 22.02.2011

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि उक्त पत्र के द्वारा आपको आरसेटी की स्थापना हेतु अपने जिले में एक एकड़ भूमि को रेखांकित करते हुए आरसेटी प्रायोजित करने वाले बैंक को भूमि निःशुल्क उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान करने तथा उक्त भूमि बैंक को MOU के तहत उपलब्ध कराते हुए हस्तक्षरित MOU की एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु वांछित प्रतिवेदन आपके जिले से अप्राप्त है ।

अतएव आपसे अनुरोध है कि विषयांकित मामले में अभी तक की गई कार्रवाई से विभाग को तीन दिनों के अंदर अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय । ताकि आरसेटी की स्थापना हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकें ।

विश्वासभाजन



09/06/13
(मनोज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

जापांक _____ /

पटना, दिनांक _____

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


09/06/13
विशेष कार्य पदाधिकारी